बद्री प्रसाद बनाम चन्द्रपाल
अपील संख्या 12/05/2024
निर्णय दिनांक 07.01.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

अपील संख्या :–12/05/2024 ऑनलाईन नम्बर:–2024/636 प्रवेश तिथि:–02.12.2024

1. बद्री प्रसाद पुत्र रेवड राम जाति बैरवा आयु करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर। ....अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रपाल पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद जाति बैरवा आयु करीब 35 साल।
2. राजपाल पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद जाति बैरवा आयु करीब 37 साल।
3. मूर्ति देवी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद जाति बैरवा आयु करीब 60 साल।
4. मौजा देवी पुत्री स्व0 बद्री प्रसाद जाति बैरवा आयु करीब 28 साल।
5. संगीता देवी पुत्री स्व0 बद्री प्रसाद जाति बैरवा आयु करीब 30 साल समस्त निवासीयान ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
6. ग्राम पंचायत मोतीवाडा पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर।

......................रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

अपील बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 1178 निर्णय दिनांक 17.05.2023 वाके ग्राम पंचायत मोतीवाडा पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर

उपस्थित – 1. श्री राहुल दीक्षित एड0–अपीलान्ट
2. श्री पुनीत शर्मा एड0–रेस्पाडेन्ट

दिनांक 07.01.2025

–:निर्णय:–

1 आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 1394/0.26, 1398/0.16, 1399/0.21, 1400/0.20, 1401/0.34, 1402/0.17, 1403/0.17, 1571/0.09, 1572/0.24, 1573/0.11, 1574/0.09, 1575/0.43, 1576/0.21, 1577/0.24, 1578/0.21, 1579/0.21, 1580/0.21, 1581/0.22, 1582/0.20, 1583/0.22, 1584/0.18, 1585/0.09, 1586/0.18, 1587/0.25, 1588/0.13, 1589/0.13, 1590/0.22, 1591/.0.23, 1592/0.23, 1594/0.23, 1595/0.20, 1601/0.13, 1602/0.12, 1603/0.19, 1604/0.09, 1605/0.09, 1606/0.19 कुल किता 37 कुल रकबा 7.0700 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात का अपीलांट बद्री प्रसाद पुत्र रेवड जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर 1/12 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है। और अपीलांट अपना हिस्स की आरजी पर काबिज होकार काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 ने गलत तरीके से अपींलाट को मृतक जाहिर करते हुए अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोतीवाडा से गलत तरीके से जारी करवाकर स्वय को अपीलांट ब्रदी प्रसाद का वारिसान होना दर्ज करते हुए विरासत का नामांतरण संख्या 1178 दिनांक 06.03.2023 को पटवारी हल्का व कानूनगो से मिलकर दर्ज करवा लिया एंव उक्त नामांतकरण को ग्राम पंचायत मोतीवाडा के सरपंच से दिनांक 17.05.2023 को फैसल करवा लिया जो की कानूनन गलत है अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत मोतीवाडा पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 17.05.2023 बाबत नामांतरकण संख्या 1178 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 असालतन वकालातन उपस्थित न्यायालय आएं। उनके द्वारा हाजा न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त अपील में विवादित आराजी अपीलांट की खतोदारी की आराजी है। लेकिन हम रैस्पा0 के पति व पिता का बंद्री प्रसाद के पिता का नाम कालूराम था लेकिन हम रैस्पा0 के पिता व पति बद्री प्रसाद को मृतक रेवड राम से आराजी से प्राप्त हुयी थी हम रैस्पा0 के पिता बद्री प्रसाद की मृत्यु उपरांत हम रैस्पा0 द्वारा विरासत का नामांतकरण दर्ज कराने हेतु आवेदन किया था लेकिन सहवन से अपीलांट बद्री प्रसाद पुत्र रेवड की आराजी का विरासत का नामांतकरण हम रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गया है इस कारण अपीलांट बद्री प्रसाद पुत्र रेवड राम की आराजी वाके ग्रम मोतीवाडा की विरासत का नामंतरकरण संख्या 1178 वाके ग्राम मोतीवाडा दर्ज हुआ है उसे निरस्त किया जाकर अपीलांट बद्री प्रसाद की आराजी अपीलांट के नाम दर्ज किए जाने मे हम रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 को कोई आपत्ति नही है।

3. प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में उनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि उक्त वर्णित आराजीयात का नामातकरण संख्या 1178 दिनांक 17.05.2023 सहवन से रैस्पा0 के नाम दर्ज हो गया है। तथा उनके द्वारा उक्त नामांतकरण को निरस्त किया जाकर अपीलांट बद्री के नाम दर्ज करने पर सहमति प्रदान की गयी है। बाद गौर वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पंत्र में वर्णित तथ्यों , दस्तावेजात एंव रैस्पा0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सहवन से उपरोक्त वर्णित आराजी का इंतकाल रैस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम नामांतकरण संख्या 1178 दिनांक 17.5.2023 द्वारा दर्ज हेा गया है। जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है की

अपील अपीलान्ट बाबत् इन्तकाल संख्या 1178 निर्णय दिनांक 17.05.2023 वाके ग्राम मोतीवाडा ग्राम पंचायत मोतीवाडा पंचायत मोतीलाल तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार की जाती है। तथा इन्तकाल संख्या 1178 निर्णय दिनांक 17.05.2023 को खारीज कर तहसीलदार राजगढ को आदेशित किया जाता है कि वारिसानो की जॉच कर को पुनः इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर